

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली –110001

मि.स : 576/3/ईसीआई/पत्र/व्यवहारिक/विधिक/एसडीआर/खण्ड-1/2017

दिनांक: 13 जनवरी, 2017

सेवा मे,

- 1.गोवा
 - 2.मणिपुर
 - 3.पंजाब
 - 4.उत्तराखण्ड
 - 5.उत्तर प्रदेश
- राज्यों के मुख्य सचिव

विषय:- गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश विधान सभाओं का साधारण निर्वाचन-निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचकों के मताधिकारों का संरक्षण तत्संबंधी ।

महोदय,

आप अवगत है कि आयोग ने 4 जनवरी, 2017 को गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है । विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर http://eci.nic.in/eci_main1/current/PN1_04012017.pdf के अन्तर्गत दिया गया है । इस संबंध में, निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचकों के मताधिकारों से संबंधित विधि के निम्नलिखित उपबंधों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है :-


- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 की उप-धारा(5) के परंतुक में निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचकों को मत का अधिकार दिया गया है । निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 18 के अनुसार निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचकों को डाक द्वारा अपने मत डालने का अधिकार प्राप्त हैं ।
- (ii) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 21 (1) में यह उपबंध किया गया है कि उपर्युक्त सरकार निवारक के अधीन रखे गये निर्वाचकों, यदि कोई हों, के नाम उनके पते, निर्वाचक नामावली संख्याओं एवं निरोध के स्थानों के ब्यौरे निर्वाचन की अपेक्षा किए जाने के पन्द्रह दिनों के भीतर रिटर्निंग ऑफिसरों को उपलब्ध कराएगी ।

इससे रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे निर्वाचकों को डाक मत पत्र भेजने में सक्षम हो पाएंगे ताकि वे निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें ।

2. अनुरोध है कि संबंधित प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दिए जाएं कि ऊपर उल्लिखित निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 21 (1) के उपबंधों के वर्तमान साधारण निर्वाचनों के दौरान कड़ाई से अनुपालन किया जाए और उक्त नियम के उपबंधों का अनुपालन न करने के संबंध में शिकायत का कोई आधार नहीं मिले ।

3. कृपया पावती दें ।

भवदीय,



(के०एफ०विल्फ्रेड)

प्रधान सचिव

प्रति प्रेषित :- गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को । यदि निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचकों की कोई सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होती है तो उसके बारे में संबंधित रिटर्निंग ऑफिसरों को अविलंब अवगत कराया जाए ।